कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

S.S(JPM)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), आरा
जिला– भोजपुर

A-D 11.1.18

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
10 JAN 2018
प्राप्ति तिथि

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, आरा के सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 939 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

11 JAN 2018
344

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 114701/333 **दिनांक–** 22.12.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

तनवीर हसन 22/12/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 939/17–18
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	**जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा)**
2	परीक्षित लेखा की अवधि	सितम्बर 16 से अक्टूबर 17
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक के योजना की रोकड़ बही, बैंक पासबुक (उपरोक्त रोकड़बही सम्बन्धित), योजना पंजी (वही), के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों, सामग्री खरीद की अभिलेखो, अभिश्रव की नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	15.11.17 से 25.11.17
5	**कार्यपालक अभियन्ता का नाम**	**कार्य अवधि**
	श्री एल0एन0 सिंह	23.06.09 से 05.08.13
	श्री के0पी0 सिंह	05.08.13 से 15.06.16
	श्री बबन सिंह	16.07.16 से वर्तमान समय तक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री गौरव प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री कौशल किशोर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	–अनुपलब्ध–
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक अभियंता के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी ?	हॉ, दिनांक 25.11.17

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

भाग–II (क)– शून्य
भाग–II (ख)

कंडिका सं0–01 संवेदक को अदेय सहायता (कार्य विलंब प्रतिकर की कम वसूली रू. 12.03 लाख के कारण)

Bihar Public Works Department mentions General Rule and Direction for the guidance of Contractors. According to Clause 2 of Item rate tender and contract for works (Form no. F-2) states that "The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be reckoned from the date on which the written order to commence work is given to the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be carried on with all due diligence (time being deemed to be the essence of the contract on the part of the contract or/and the contractor shall pay as compensation an amount equal to half percent on the amount of the estimated of the whole work as shown by the tender for every day that the work remains uncommented or unfinished after the proper date. And further to ensure good progress during the execution of the work the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month to complete one fourth of the whole of the work before one fourth of the one-half of such time elapsed and three fourth of the work, before three fourth of such time has elapsed in the event of the contractor falling to employ with this condition. He shall be liable to pay as compensation an amount equal to half percent on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions the clause shall not exceed 10 percent of the estimated cost the work as shown in the tender exceed 10 percent of the estimated cost of the work".

The work should not be contractor side red until such date as the Executive Engineer Shall certify as the date on which work is finished after necessary rectification of defects as pointed.

अतः संवेदक द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा ना करने की स्थिति में कार्य विलंब प्रतिकर के रूप में प्रत्येक विलंब दिवस हेतु कार्य के कुल प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत राशि जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगा की कटौती का प्रावधान है। जिला शहरी विकास अभिकरण के योजना संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि 16 योजनाओं में विलम्ब कर की कुल राशि रू 1203368 कटौती नहीं किये जाने से संवेदको को अदेय लाभ पहुँचाया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– i में संलग्न है।)

जवाब में बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण कर लिया गया है। जैसा कि कनीय अभियन्ता के मापी की दिनांक के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। कनीय अभियन्ता विपत्र एवं मापी को दर्ज करने में विलम्ब किये जिसके लिये उन्हे कड़ी चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में मापी पुस्तिका में दर्ज करने में विलम्ब नही किया जाय। कार्य जब संवेदक द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तो समयावधि के दण्ड स्वरूप राशि की कटौती का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक योजना में कनीय अभियंता द्वारा मापी में विलंब की बात सही नहीं जान पड़ता है।

कंडिका सं0—02 अनियमित भुगतान राशि रू 9.85 लाख।

एकरारनामा संख्या– 13F2/14-15 Date-06.02.15

योजना का नाम– नगर सरकार पंचायत सरकार भवन, शाहपुर के निर्माण।

प्राक्कलन की राशि– रू 11538220

संवेदक का नाम– श्री प्रशांत कुमार सिंह, महाराजा हाता, आरा

एकरारनामा की राशि–रू 11411299 (1.1% Below)

योजना समाप्ति की तिथि– 08.07.16

योजना में मापी की राशि– रू 11455835

योजना में व्यय की राशि– रू 11329820

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) सामग्री ढुलाई में अनियमित व्यय (रू 9.46 लाख)

बिहार लघु सामग्री समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्य में प्रयुक्त होने वाली लघु सामग्री की ढुलाई के एवज में संवेदक द्वारा प्रपत्र एम0 तथा एन0 एवं उसके साथ चालान की कॉपी भी संबंधित कार्यालय में जमा करवाया जाएगा। कार्यालय संबंधित जिला (जहॉं से लघु खनिज ढुलाई हुई हो) के खनन पदाधिकारी को प्रपत्र एम0,एन0 तथा चालान भेजकर इस बात की सत्यता की जॉंच करवायेगा कि लघु खनिज की ढुलाई किस कोटी से की गई है। बगैर एम0 एवं एन0 की सत्यता की जॉंच कराए किसी प्रकार का भुगतान नियमानुकूल नही माना जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अवैध खनन को बढ़ावा न मिले तथा सामग्री गुणवता पूर्व हो एवं सरकारी राजस्व की क्षति न हो।

योजना संचिका तथा मापी पुस्तिका की जॉंच में पाया गया कि संवेदक से बगैर एम0 तथा एन0 तथा चालान प्राप्त किए भुगतान किया जाता रहा। विवरणी इस प्रकार है:–

सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	ढुलाई की दर	अनियमित भुगतान	मापी पृष्ठ सं0
स्टोन चिप्स	299.20 M^3	@2416/ M^3	224101	P/72
सोन बालू	2०9 M^3	@749.50/ M^3	722867	P/72
			946968	

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संवेदक को बगैर एम0, एन0 तथा चालान प्राप्त किए ढुलाई मद में अनियमित व्यय (रू 946968) किया गया था।

जवाब में बताया गया कि संवेदक से एम एवं एन फार्म मंगवाया जा रहा है।

(ख) प्राक्कलित /B.O.Q राशि से अधिक कार्य दिखाकर अधिक भुगतान रू. 38657

मापी पुस्तिका के अनुसार B.O.Q से अधिक कार्य दिखाया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

Sl. NO.	Item of work	Unit	Qty of B.O.Q	Qty of M.B.	Eccess work	Rate tendered	Amount
15	5.14.3	Suspended floors, roofs, landing, balconies, and access platform	734.02	839.34	105.32	229.8	24202
15	5.14.5	Lintels, beam, plinth beam, girder, resumers and cantilever	427.96	501.86	73.9	195.6	14455
		Total					38657

मापी पुस्तिका के अनुसार B.O.Q से अधिक कार्य दिखाकर राशि रू 38657 का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः इस योजना का कियान्वयन में अनियमित भुगतान राशि रू 985625 (946968+ 38657) किया गया था।

जवाब में बताया गया कि बी0ओ0क्यू0 से अधिक कार्य की गुणवता को बनाये रखने के लिये कार्य को अधिक किया गया है जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है।

कंडिका सं0—03 योजना को टुकडो में बॉटकर कियान्वयन किया जाना रू. 12.69 लाख

नगर पंचायत शाहपुर में निर्माणाधीन नगर सरकार भवन में योजना के लिए रू. 154.15 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 3059 दिनांक— 18.12.13 द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति में Sanitation installation and water supply work & Electrification मद में राशि रू 1584504 की स्वीकृति प्राप्त थी। जिसका विभागीय कार्य निम्न प्रकार किया गया था:—

योजना का नाम—नगर पंचायत शाहपुर में निर्माणाधीन सरकार भवन में Sanitation installation and water supply work	योजना का नाम—नगर पंचायत शाहपुर में निर्माणाधीन सरकार भवन में Electrification work
प्राक्कलित राशि—674975	प्राक्कलित राशि—674998
तकनीकी स्वीकृति—17.11.16 (कार्यपालक अभियन्ता, डूडा—भोजपुर)	तकनीकी स्वीकृति—17.11.16 (कार्यपालक अभियन्ता, डूडा—भोजपुर)
प्रशासनिक स्वीकृति—18.11.16	प्रशासनिक स्वीकृति—18.11.16
मापी कार्य—674995	मापी कार्य—674998
भुगतान राशि—634500	भुगतान राशि—634498

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. नगर पंचायत शाहपुर में नगर सरकार भवन का Model Estimate- sanitation installation and water supply work & electrification work राशि रू 1584504 की स्वीकृति प्राप्त थी। विभाग द्वारा प्राप्त स्वीकृति एक योजना का कार्य दिखाया गया है। जबकि जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा भोजपुर द्वारा योजना को दो टुकड़ों में बॉटकर कार्य कराया गया था।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को 7.50 लाख तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। इससे अधिक की स्वीकृति के लिए उच्चतर अधिकारी की स्वीकृति एवं निविदा द्वारा कार्य किया जाय।

पंचायत सरकार भवन की योजनाओं को दो टुकडो में बॉटने से योजनाओं का निविदा कार्य से न कराकर विभागीय कार्य कराया गया एवं उच्चतर अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति से भी वंचित रहा।

जवाब में बताया गया कि नगर पंचायत शाहपुर के मुख्य भवन के प्राक्कलन के तकनीकी एवं बी. ओ.क्यू की स्वीकृति अनुसूचित दर पर निविदा आमंत्रित कर कराया गया जबकि भवन का मूल निर्माण होने के पश्चात् Electrification एवं Sanitation का कार्य बारी– बारी से आवश्यकतानुसार किया गया है।

कंडिका सं0– 04 वैट, रायल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की कटौती की गयी राशि जमा नहीं रू 7.01 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण भोजपुर आरा के लेखा वर्ष सितम्बर 2016 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड बही के अनुसार कियान्वित योजनाओं में वैट, रायल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की कटौती की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0स0	मद का नाम	योजना सं0	दिनांक	वैट कटौती	रायल्टी कटौती	आयकर	श्रम सेस
01	ULB	13F2/13-14	27.10.16	104869	17754	20974	20974
		04F2/13-14	13.04.16	–	–	8250	–
		13F2/14-15	18.05.16	–	–	15444	–
02	—"—	इलेक्ट्रीफिकेशन (रौशन कुमार क.अ. द्वारा विभागीय कार्य)	03.12.16	33750	–	–	6750
03	—"—	सैनिटेशन कार्य (रौशन कुमार क.अ. द्वारा विभागीय कार्य)	03.12.16	33745	–	–	6750
04	—"—	प्रतीक रविधर क.अ. द्वारा विभागीय कार्य	20.01.17	37155	37589	–	7431
05	—"—	रौशन कुमार क.अ.	23.01.17	34530	12845	–	6906
06	—"—	रौशन कुमार क.अ.	06.02.17	27690	–	–	5538
07	—"—	रौशन कुमार क.अ.	06.02.17	9453	–	–	1891
08	—"—	रौशन कुमार क.अ.	06.02.17	36979	–	–	7396
09	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	21F2/ 16-17	08.12.16	–	–	–	2670
10	—"—	प्रतीक रविधर क.अ. द्वारा विभागीय कार्य	17.01.17	1453	33	–	291
11	—"—	21F2/16-17	27.02.17	7553	424	1511	1511
12	—"—	15F2/16-17	04.06.17	138290	17754	23048	23048
13	—"—	01/17-18	10.11.17	–	10799	–	1782
		Total		465467	97198	69227	92938

उक्त योजनाओं में वैट, रायल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की कटौती की गयी राशि रू 724830 संबंधित विभाग को जमा नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि वैट, रायल्टी, आयकर एवं श्रम सेस की राशि संबंधित विभाग में जमा करने हेतु खाता सं0–50100051176847 के चेक संख्या 000104 से 000107 तथा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के खाता संख्या 50100058320088 के चेक संख्या 000363 से 000366 द्वारा जमा करने हेतु संबंधित विभाग को दिनांक 25.11.2017 को राशि रू 706526 भेजी जा रही है।

भाग– III

(नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी)

कंडिका सं0– 01 अग्रिम का समायोजन नहीं राशि रू 12.50 लाख

जिला शहरी विकास अभिकण भोजपुर आरा के सितम्बर 2016 से अक्तुबर 2017 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये रोकड बही के अनुसार मद–मुख्य मंत्री शहरी विकास अभिकरण योजना का कार्य कराने के लिए श्री प्रतीक रविधर, कनीय अभियन्ता को अग्रिम प्रदान किया गया है जिसका विवरणी निम्न प्रकार है:–

योजना का नाम	भुगतान दिनांक	चेक संख्या	राशि
आरा सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में अवस्थित सामुदायिक शौचालय एवं स्नानागार की मरम्मति कार्य	07.11.17	000355	300000
Construction of sockpit in premises of sadar Hospital Ara	07.11.17	000356	300000
Construction of septic tank and drain in premises of Sadar Hospital Ara	07.11.17	000357	300000
सदर अस्पताल आरा में आपातकालीन वार्ड के भीतर डॉक्टर रूम तथा शौचालय का जीर्णोद्वार	07.11.17	000358	350000
			1250000

उक्त योजनाओं में अग्रिम की राशि रू 1250000 दिया गया था।

जवाब में बताया गया कि प्रदान अग्रिम की विरूद्व मापी पुस्तिका के अनुसार मूल कार्य की राशि निम्न प्रकार है:–

योजना का नाम	राशि	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य की राशि
आरा सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में अवस्थित सामुदायिक शौचालय एवं स्नानागार की मरम्मति कार्य	300000	454722
Construction of sockpit in premises of sadar Hospital Ara	300000	458469
Construction of septic tank and drain in premises of sadar Hospital Ara	300000	548957
सदर अस्पताल आरा में आपातकालीन वार्ड के भीतर डॉक्टर रूम तथा शौचालय का जीर्णोद्वार	350000	484200
	1250000	

अभिकर्ता को उनके द्वारा कराये गये कार्य के विरूद्व जो राशि दी गयी है वो वास्तविक कार्य से कम है।

कंडिका सं0–02 राशि का अवरोधन रू 2.34 लाख।

जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर आरा के अभियंत्रण शाखा के लेखा वर्ष सितम्बर 2016 से अद्यतन तक संधारित की जाने वाली रोकड बही के अनुसार राशि को अवरूद्व कर रखा गया, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

मद का नाम	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
कला से संबंधित	06.08.13	102618	31.10.17	132166	अन्तर ब्याज की राशि
पर्यटन से संबंधित	01.09.15	19479	31.10.17	18886	Current A/c में राशि की कटौती
स्वास्थय	02.08.15	11795	31.10.17	13895	अन्तर ब्याज की राशि
B.O.Q			31.10.17	69545	
				234492	

उक्त राशि रू 234492 वर्षो से अवरूद्व कर रखा गया था।

जवाब में बताया गया कि कला से संबंधित खाता को बन्द करने एवं राशि हस्तांतरित करने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा को पत्रांक 105 दिनांक 12.09.2017 द्वारा आदेश दिया जा चुका है।

1. पर्यटन से संबंधित खाता को बन्द कर अवशेष राशि रू 18797 को पत्रांक 105 दिनांक 12.09.17 द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है।

2. स्वास्थय संबंधित खाता की योजना पूर्ण कर दी गयी है एवं दायित्व के निर्वाहनोपरान्त राशि वापस की जा सकेगी।

3. बी.ओ.क्यू में प्राप्त ब्याज की राशि रू. 69545 को विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित मद में जमा कर दी जायेगी।

कंडिका सं0–03 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर आरा के लेखापरीक्षा के दौरान निम्न अभिलेखों/पंजियों एवं सूचना लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण लेखापरीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी।

1. मासिक प्रगति प्रतिवेदन
2. चालान पंजी
3. बैंक समाधान विवरणी
4. दावा एवं दायित्व पंजी
5. सामग्री कय संचिका
6. परिसम्पति पंजी
7. स्टॉक पंजी
8. आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन
9. पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन
10. विगत तीन वर्षो का आवंटन एवं व्यय ब्यौरा
11. आय– व्यय विवरणी
12. कोषागार निकासी संबंधित बिल बुक
13. सामान्य रोकड़ बही

जवाब में बताया गया कि मासिक प्रतिवेन संलग्न है। 2. चालान पंजी गार्ड फाईल में है। 3. बैंक समाधान विवरणी रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा है। 4 से 6 संधारित किया जा रहा है।

–हस्ता0–
(राजनन्दन कुमार)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I / स्था0नि0)

परिशिष्ट– I

Sl. No.	Scheme No.	Estimated Cost	Agreement Value	Date of written order to Commence	Expected Date of Completion of work	Real date of Completion of work as per MB	Delay in completion of work	Rate of Liquidated Damages	Amount of Liquidated Damages (Rate of liquidated damages* Estimated cost)	Name of Contractor
1	21F2/ 15-16	1542532	1388279	27.01.16	26.05.16	28.06.16	32 days	10 percent	154253	Indal Kumar Singh, Bkhorapur, Bhojpur
2	55 F2/15-16	313403	282063	27.01.16	26.03.16	25.05.16	62 days	10 percent	31340	Brij Kumar Rai, Pakari, Ara
3	57 F2/15-16	744387	669948	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	74439	Dhananjay Pandey, Dilmanpur, Bhojpur
4	14 F2/15-16	1667616	1500854	27.01.16	27.05.16	13.06.16	18 days	8 percent	150085	Amrit Raj, Maharaja Haatha, Ara
5	66 F2 /15-16	438583	394725	27.01.16	26.03.16	15.04.16	20 days	10 percent	43858	Bhanu Prakash Dubey, Jain College, Ara
6	10 F2/ 15-16	2553939	2298545	27.01.16	26.05.16	10.06.16	15 days	7.5 percent	191545	Ms. Regain Cons., Jawala Flat, Ara
7	22F2/15-16	750896	675806	27.01.16	26.03.16	10.06.16	76 days	10 percent	75090	Rita Devi, Pachina, Bhojpur
8	60 F2/15-16	431247	388122	27.01.16	26.03.16	10.06.16	76 days	10 percent	43125	Tariq Anwar, Bhagalpur, Piro
9	1 F2/15-16	1460460	1444395	04.04.15	03.07.15	03.11.15	120 days	10 percent	146046	Mantosh Kumar, Maula Bagh, Ara
10	36 F2/15-16	241001	238350	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	24100	Upendra Kumar Ram, Pakari, Ara

11	26 F2/15-16	402847	398416	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	40285	Krishna Ranjan Pandey,Sheetal Tola, Ara
12	11 F2/15-16	473970	426573	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	47398	Amrit Raj, Maharaja Haatha, Ara
13	66 F2/15-16	222648	200383	28.01.16	27.03.16	03.06.16	68 days	10 percent	22265	Akhilesh Singh, Bihiya, Bhojpur
14	56 F2/15-16	1101037	990933	27.01.16	26.04.16	10.06.16	45 days	10 percent	110104	Upendra Kumar Ram, Pakari, Ara
15	41 F2/15-16	223971	221507	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	22397	Amrit Raj, Maharaja Haatha, Ara
16	50 F2/15-16	270378	267404	27.01.16	26.03.16	13.06.16	79 days	10 percent	27038	Upendra Kumar Ram, Pakri, Ara
								Total	**1203368**	